दिनांक 05.11.2025
प्रेस विज्ञप्ति 07/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेशझं

एएनटीएफ थाना गाजीपुर द्वारा असम से अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले 03 तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 03 कुन्तल 08 किलो 200 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा (जिसकी कीमत लगभग 01 करोड़ 54 लाख रूपये), 02 अदद एन्ड्राइड मोबाइल फोन , 02 अदद कीपैड फोन, 01 अदद इलेक्ट्रानिक कांटा व 47,860 /– रुपए नकद बरामद किया गया ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध, उ0प्र0 लखनऊ के मार्गदर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक, एएनटीएफ लखनऊ के निर्देशन में एएनटीएफ थाना गाजीपुर द्वारा अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले 03 सक्रिय तस्कर जिनका नाम 1. अमन तिवारी उर्फ सोनू तिवारी पुत्र विभीषण तिवारी निवासी ग्राम सहबाजपुर थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर उम्र करीब 27 वर्ष , 2. सुमन्त तिवारी पुत्र स्व0 रामअवध तिवारी निवासी ग्राम सहबाजपुर थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर उम्र करीब 54 वर्ष 3.मिथिलेश तिवारी पुत्र स्व0 रामकिशोर तिवारी निवासी सेमरी गठिया थाना सेमरी जिला बक्सर (बिहार) उम्र करीब 50 वर्ष को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के कब्जे से 03 कुन्तल 08 किलो 200 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा (जिसका कीमत लगभग 01 करोड़ 54 लाख रूपये) व जामातलाशी के 02 अदद एन्ड्राइड मोबाइल फोन , 02 अदद कीपैड फोन, 01 अदद इलेक्ट्रानिक कांटा व 47,860 /– रुपए बरामद किया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर पर मु0अ0सं0 634/25 धारा 8/20/25/29/60 एनडीपीएस एक्ट मे मुकदमा पंजीकृत कराते हुए विधिक कार्यवाही किया गया ।

पूछताछ का विवरण–

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण द्वारा पूछने पर बताया गया कि ये लोग असम के एक व्यक्ति से संदीप नाम के व्यक्ति से सस्ते दाम मे गाजा खरीद कर लाते है और मऊ, देवरिया, आजमगढ़ आदि जनपदो मे घूम– घूम कर सस्ते दामों बेच देते है और जो फायदा होता है उसे आपास मे बाट लेते है। आज ये लोग गांजा बेचने के लिये बोरी मे भर ही रहे थे कि आप लोगो ने पकड़ लिया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

1–अमन तिवारी उर्फ सोनू तिवारी पुत्र विभीषण तिवारी निवासी ग्राम सहबाजपुर थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर उम्र करीब 27 वर्ष ,

2–सुमन्त तिवारी पुत्र स्व0 रामअवध तिवारी निवासी ग्राम सहबाजपुर थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर उम्र करीब 54 वर्ष

3–मिथिलेश तिवारी पुत्र स्व0 रामकिशोर तिवारी निवासी सेमरी गठिया थाना सेमरी जिला बक्सर (बिहार) उम्र करीब 50 वर्ष

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान–

दिनांक –04.11.2025 स्थान– अमित चौरसिया के मकान मे ग्राम मिश्रौली संसारपार थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर ।

बरामदगी का विवरण

1. 03 कुन्तल 8 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा (जिसकी कीमत लगभग 01 करोड़ 54 लाख रूपये),
2. 02 अदद एन्ड्राइड मोबाइल फोन, 02 अदद की पैड फोन
3. 01 अदद दो पहिया वाहन
4. 47,860 /– रूपया नगद

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम का विवरण– ए0एन0टी0एफ0 थाना गाजीपुर

1– प्रभारी निरीक्षक सुरेन्द्र नाथ सिहं

2– उ0नि0 शमी अशरफ शेख

3– कां0 देवानन्द,

4– का0 अमित चौरसिया

5– का0 अजीत कुमार

6– का0 इन्द्रपाल सिंह

सहयोगार्थ थाना–बड़हलगंज जनपद–गोरखपुर की टीम–

1–एस0ओ0 श्री चन्द्रभान सिंह,

2–चौकी प्रभारी उ0नि0 श्री आदित्य उपाध्याय,

3–उ0नि0 विनय पाण्डेय,

4–का0 राजू पटेल,

5–का0 उपेन्द्र यादव,

6–का0 चालक राकेश यादव

एएनटीएफ यूनिट प्रयागराज द्वारा उड़ीसा से अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले 04 अन्तर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 80 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा (जिसकी कीमत लगभग 40 लाख रूपये), 02 मोबाइल फोन, 02 अदद चार पहिया वाहन व 3310/– रु0 नकद रुपया बरामद किया गया ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध, उ0प्र0 लखनऊ के मार्गदर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक, एएनटीएफ लखनऊ के निर्देशन में एएनटीएफ यूनिट प्रयागराज द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 04 अन्तर्राज्यीय तस्कर जिनका नाम 01. रवि शिवहरे पुत्र फूलचन्द्र शिवहरे निवासी मोहल्ला गुरहाथोक मटौंध थाना मटौंध जिला बांदा उम्र करीब 23 वर्ष 02–गंगाराम कुशवाहा पुत्र जयपाल निवासी कुशवाहा मोहल्ला परसहां थाना कबरई जिला महोबा उम्र करीब 34 वर्ष 03–सत्यप्रकाश शिवहरे उर्फ सोनू शिवहरे पुत्र स्व0 राम कृपाल शिवहरे निवासी मोहल्ला हरसिनथोक मटौंध थाना मटौंध जिला बांदा उम्र करीब 35 वर्ष 04–हरिशचन्द्र शिवहरे पुत्र स्व0 घासीराम शिवहरे निवासी परम कालोनी नवगांव थाना नवगांव जनपद छतरपुर मध्यप्रदेश उम्र करीब 65 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 80 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा (जिसका कीमत लगभग 40 लाख रूपये), 02 अदद मोबाइल फोन, 02 अदद चार पहिया वाहन व 3310 /–रु0 नकद रुपया बरामद किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट पर मु0अ0सं0 48/25 धारा 8/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट मे मुकदमा पंजीकृत कराते हुए विधिक कार्यवाही किया गया।

पूछताछ का विवरण–

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण द्वारा पूछने पर बताया गया कि यह लोग अवैध मादक पदार्थ गांजा उडीसा से सस्ते दामों में लाकर बांदा व आस पास के जनपदों में उंचे दामों में बेचते हैं तथा बेचने से जो लाभ प्राप्त होता है उसे आपस में बाट लेते है। आज फिर हम लोग द्वारा अवैध गांजा लेकर आ रहे तभी आप लोगों द्वारा पकड़ लिया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

01–रवि शिवहरे पुत्र फूलचन्द्र शिवहरे निवासी मोहल्ला गुरहाथोक मटौंध थाना मटौंध जिला बांदा उम्र करीब 23 वर्ष।

02–गंगाराम कुशवाहा पुत्र जयपाल निवासी कुशवाहा मोहल्ला परसहां थाना कबरई जिला महोबा उम्र करीब 34 वर्ष

03–सत्यप्रकाश शिवहरे उर्फ सोनू शिवहरे पुत्र स्व0 राम कृपाल शिवहरे निवासी मोहल्ला हरसिनथोक मटौंध थाना मटौंध जिला बांदा उम्र करीब 35 वर्ष

04–हरिशचन्द्र शिवहरे पुत्र स्व0 घासीराम शिवहरे निवासी परम कालोनी नवगांव थाना नवगांव जनपद छतरपुर मध्यप्रदेश उम्र करीब 65 वर्ष

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान–

दिनांक–05.11.2025 स्थान–डोड़ामाफी मोड़ मारकुण्डी थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट।

बरामदगी का विवरण–

1–80 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा(जिसकी कीमत लगभग 40 लाख रूपये)

2–02 अदद मोबाइल फोन

3–02 अदद चार पहिया वाहन

4–3310 /–रू0 नकद

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम का विवरण–

1. उपनिरीक्षक श्री एएनटीएफ सत्येन्द्र प्रधान प्रभारी ऑपरेशनल यूनिट प्रयागराज।
2. उ0नि0 श्री मनीष कुमार एएनटीएफ ऑपरेशनल यूनिट प्रयागराज।
3. हे0का0 धीरेन्द्र राय एएनटीएफ ऑपरेशनल यूनिट प्रयागराज।
4. हे0का0 राजेश यादव एएनटीएफ ऑपरेशनल यूनिट प्रयागराज।
5. हे0का0 सत्येश राय एएनटीएफ ऑपरेशनल यूनिट प्रयागराज।
6. का0 आशीष यादव एएनटीएफ ऑपरेशनल यूनिट प्रयागराज।

सहयोगार्थ टीम –

सर्विलांस टीम मुख्यालय एएनटीएफ लखनऊ उ0प्र0 व थाना मारकुण्डी जनपद–चित्रकूट की टीम

जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली नगर

• पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

• चोरी के 15 हजार 200 रूपये नगद

• 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस

• 01 स्विफ्ट कार आदि बरामद

दिनांक 04.11.2025 को थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मऊखेड़ा फ्लाईओवर के पास से बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त फैसल घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। अन्य तीन अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 15 हजार 200 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 स्विफ्ट कार आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—फैसल निवासी फरूखनगर थाना टीलामोड कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी

1—चोरी के 15 हजार 200 रूपये नगद।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3—01 स्विफ्ट कार आदि।

- **<u>जनपद अम्बेडकरनगर/थाना बसखारी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना बसखारी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 326/504 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मंगल उर्फ अखण्ड को आजीवन कारावास व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————